दैनिक भास्कर
बिलासपुर 26-08-2025

**फैसले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज,** कहा- इससे न्याय प्रक्रिया पर से लोगों का भरोसा उठता है

# हाई कोर्ट 3 महीने में फैसला न सुनाए तो मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा जाएः सुप्रीम कोर्ट

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में फैसले में देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठता है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने निर्देश दिया कि अगर फैसला तीन महीने से ज्यादा लंबित है तो रजिस्ट्रार जनरल मामला चीफ जस्टिस के सामने रखें।

चीफ जस्टिस को सुनिश्चित करना होगा कि दो हफ्ते के भीतर फैसला सुनाया जाए, अन्यथा मामला दूसरी बेंच को सौंपा जाए। कोर्ट ने 2002 के अनिल राय बनाम बिहार सरकार और 2024 के रतिलाल झावेरीभाई केस का हवाला देते हुए कहा कि बिना कारण बताए आदेश जारी करना गलत है। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लंबित अपील से जुड़ा था, जिसमें 2008 से सुनवाई टल रही है और दिसंबर 2021 से फैसला सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर बताते हुए रजिस्ट्रार जनरल को तुरंत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

## अगर आरोपी बरी हो जाए तो पीड़ित और उनके वारिश भी कर सकते हैं अपीलः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराध पीड़ित और उनके कानूनी उत्तराधिकारी आरोपी की बरी, कम सजा या अपर्याप्त मुआवजे की स्थिति में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने स्पष्ट किया कि पीड़ित के अधिकार आरोपी के समान माने जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 2009 में सीआरपीसी की धारा 372 में जोड़े गए प्रावधान का उद्देश्य अपराध पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करना है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अपील लंबित रहने पर पीड़ित की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी मुकदमे को आगे बढ़ा सकते हैं।